NAGAR PALIKA PARISHAD, HALDAUR

MAC - 5

RECEIPT

ok No. 612

Receipt No. 58

NICIPALITY...

mand Register No. .... [illegible]

ceived from........ [illegible]

ipees (in words)........ [illegible]

account of........ [illegible]

emises No. ....Mohalla..................................

the period...

full/part Payment of demand bill No. ....Dated..................

ted..................................... Executive Officer..................................

r. .... Tax Collector..................................

.... 10/- .... Clerk incharge of demand and collection-

:./Rents/etc. .... 23-7-09 Register..................................

Total Rs. Tax Superintendent..................................

Cashier......................Accountant......................

NAGAR PALIKA PARISHAD, HALDAUR

MAC - 5

RECEIPT

lo. 612

Receipt No. 63

PALITY...

d Register No. .... [illegible]

ed from........ [illegible]

(in words)........ [illegible]

ount of........ [illegible]

es No. ....Mohalla........ [illegible]

period...

art Payment of demand bill No. ....Dated..................

.... Executive Officer..................................

.... Tax Collector..................................

.... 10.00/- .... Clerk incharge of demand and collection-

ents/etc. .... 23-7-09 Register..................................

tal Rs. Tax Superintendent..................................

Cashier......................Accountant......................

Scanned with OKEN Scanner

NAGAR PALIKA PARISHAD, HALDAUR

MAC - 5

RECEIPT

Book No. 13 | Receipt No. 37

MUNICIPALITY...

Demand Register No. श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह प्रबंधक राजकीय पॉलिटेक्निक

Received from महाविद्यालय हल्दौर

Rupees (in words) नब्बे हजार रुपये मात्र

On account of बाबत भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क

Premises No. .... Mohalla ....

for the period...

in full/part Payment of demand bill No. .... Dated........................

Dated 22-5-2012

W.T. ....

H.T. ....

W.C./Rents/etc. ....

Total Rs. 90,000=00

Executive Officer........................

Tax Collector [signature] 22/5/2012

Clerk incharge of demand and collection-

Register........................

Tax Superintendent........................

Cashier........................ Accountant........................

NAGAR PALIKA PARISHAD, HALDAUR

MAC - 5

RECEIPT

Book No. 89 | Receipt No. 76

MUNICIPALITY...

Demand Register No. श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह प्रबंधक राजकीय

Received from प्रताप सिंह महाविद्यालय हल्दौर (बिजनौर)

Rupees (in words) अंकन सैंतालीस हजार पांच सौ दस रुपये मात्र

On account of बाबत भवन निर्माण शुल्क

Premises No. अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 16-9-2014 के अनुपालन में Mohalla

for the period की लागत 47,50,000/- की 1% धनराशि 47500/- का भुगतान

in full/part Payment of demand bill No. [illegible] Dated 16-9-2014

Dated 16-9-2014

W.T. ....

H.T. ....

W.C./Rents/etc. ....

Total Rs. 47,510/-

Executive Officer........................

Tax Collector [signature] 16-9-14

Clerk incharge of demand and collection-

Register........................

Tax Superintendent........................

Cashier........................ Accountant........................

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र--

नगरपालिका परिषद कार्यालय हल्दौर (बिजनौर)

स्वीकृति पत्र

श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह प्रबन्धक रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय हल्दौर (बिजनौर)।

द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद हल्दौर

द्वारा दिनांक......27-7-09......को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गयी है।

1. आवेदक अपने स्वामित्व प्राप्त वैधानिक भूमि में ही अपना निर्माण कार्य करायें।
2. पडोसियों की भूमि की बेपर्दकी ना करें।
3. पूरब दिशा में स्थित श्री अल्लादिया पुत्र श्री बैग के भूमि का किस प्रकार अतिकमण व उपयोग न करें।
4. पश्चिम दिशा में स्थित हल्दौर से अम्हेड़ा सड़क के मध्य से 72 फुट छोड़कर निर्माण कार्य करायें किसी भी दशा में सड़क के भू–भाग का अतिकमण न करें, न ही क्षतिग्रस्त करें।
5. उत्तरदिशा में श्री कपिल कुमार पुत्र श्री दिलेराम के किसी भी का अतिकमण न करें, और नही उस पर किसी प्रकार का प्रक्षेप या सीढ़ी आदि निकालें।
6. दक्षिण दिशा में स्थित श्री अल्लादिया के किसी भी भाग का अतिकमण न करें।
7. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अपना भवन निर्माण कराना अनिवार्य है।
8. स्वीकृति का प्रभाव प्रस्तावित निर्माण के आगमन पर नही पड़ेगा।
9. स्वामित्व से संबंधित किसी भी विवाद उत्पन्न होने की दशा में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा सक्षम न्यायालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।
10. स्वीकृति पत्र प्राप्ति की तिथि से 6 माह के अन्दर अपना निर्माण कार्य पूर्ण करा लेना अनिवार्य होगा।
11. निर्धारित अवधि के पश्चात् निर्माण कार्य जारी रखने/पुनः प्रारम्भ करने से पूर्व स्वीकृत मानचित्र का नवीनीकरण/समयवृद्वि कराना अनिवार्य होगा।
12. गैर नवीनीकरण/स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाये जाने की दशा में पालिका नियमों के अन्तर्गत होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं ही होगी।
13. अपने मकान के छत के पानी का उपयोग भूगर्भ जल रिचार्ज करने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
14. अपने खुली भूमि मे कम से कम 100 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
15. किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा। अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख–रेख में ही निर्माण कार्य कराया जाए तथा उससे प्रमाण--पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।
16. निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उसके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहें।
17. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नही किया जायेगा, न करने दिया जायेगा।
18. अग्नि शमन के यन्त्रों की पर्याप्त व्यवस्था तथा स्टेटिक टैंक व फायर हाईड्रेन्ड का निर्माण कार्य कराना अनिवार्य होगा। जिसकी गुणवत्ता व निरन्तरता का प्रमाण पत्र अग्नि शमन अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा! प्रमाण–पत्र की प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत करें।
19. भूकम्प रोधी भवन का निर्माण कराने के लिए भूकम्प रोधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसी के अनुरूप भवन निर्माण कराया जाए। संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
20. पश्चिम दिशा में वर्ष जल व भवन के गन्दे पानी का निकास हेतु सड़क के सामने भवन के किनारे नाला निर्माण का कार्य कराना अनिवार्य होगा।
21. उपर्युक्त शर्तो का उल्लघंन करने की स्थिति में भवन मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
22. ग्राम समाज की सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिकमण न करें।

हर्षवर्धन सिंह

सचिव
रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय
हल्दौर (बिजनौर)

27/7/09

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
हल्दौर (बिजनौर)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हल्दौर
जिला - बिजनौर

प्रपत्र–

स्वीकृति पत्र

श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह, प्रबन्धक रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय हल्दौर जिला बिजनौर द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी महोदय नगर पालिका परिषद हल्दौर (बिजनौर)।

द्वारा दिनांक 21-5-2012 को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गयी है।

1. आवेदक अपने स्वामित्व प्राप्त वैधानिक भूमि में ही अपना निर्माण कार्य करायें।
2. पड़ोसियों की भूमि की बेपर्दकी/अतिक्रमण न करें।
3. पूरब दिशा में प्लॉट श्री अल्लादिया पुत्र श्री बेग के भूमि का किस प्रकार अतिक्रमण व उपयोग न करें।
4. पश्चिम दिशा में स्थित हल्दौर से अम्हेड़ा सड़क के मध्य से 72 फुट छोड़कर निर्माण कार्य कराये किसी भी दशा में सड़क के भू–भाग का अतिक्रमण न करें, न ही क्षतिग्रस्त करें।
5. उत्तरदिशा में श्री कपिल कुमार पुत्र श्री दिलेराम के किसी भी प्रकार अतिक्रमण न करें, और नही उस पर किसी प्रकार का प्रक्षेप या सीढ़ी आदि निकालें।
6. दक्षिण दिशा में स्थित श्री अल्लादिया के भूमि का किसी भी भाग पर अतिक्रमण न करें।
7. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अपना भवन निर्माण कार्य कराना अनिवार्य है।
8. स्वीकृति का प्रभाव प्रस्तावित निर्माण के आगमन पर नही पड़ेगा।
9. स्वामित्व से संबंधित किसी भी विवाद उत्पन्न होने की दशा में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा सक्षम न्यायालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।
10. स्वीकृति पत्र प्राप्ति की तिथि से 6 माह के अन्दर अपना निर्माण कार्य पूर्ण करा लेना अनिवार्य होगा।
11. निर्धारित अवधि के पश्चात् निर्माण कार्य जारी रखने/पुनः प्रारम्भ करने से पूर्व स्वीकृत मानचित्र का नवीनीकरण/समयावृद्धि कराना अनिवार्य होगा।
12. गैर नवीनीकरण/स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाये जाने की दशा में पालिका नियमों के अन्तर्गत होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं ही होगी।
13. अपने मकान के छत के पानी का उपयोग भूगर्भ जल रिचार्ज करने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। रैन हारवेस्टिंग सिस्टम बनाने अनिवार्य होगा।
14. अपने खुली भूमि मे कम से कम 05 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
15. किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा और अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख–रेख में ही निर्माण कार्य कराया जाए तथा उससे प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।
16. निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद की देख–रेख तथा उसके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहें।
17. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नही किया जायेगा, न करने दिया जायेगा।
18. अग्नि शमन के यन्त्रों की पर्याप्त व्यवस्था तथा स्टेटिक टैंक व फायर हाईड्रेन्ड का निर्माण कार्य कराना अनिवार्य होगा। जिसकी गुणवत्ता व निरन्तरता का प्रमाण पत्र अग्नि शमन अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र की प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत करें।
19. भूकम्प रोधी भवन का निर्माण कराने के लिए भूकम्प रोधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसी के अनुरूप भवन निर्माण कराया जाए। संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
20. पश्चिम दिशा में वर्ष जल व भवन के गन्दे पानी का निकास हेतु सड़क के सामने भवन के किनारे नाला निर्माण का कार्य कराना अनिवार्य होगा।
21. ग्राम समाज की सम्पतियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें।
22. उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में भवन मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

21/5/12

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
हल्दौर (बिजनौर)

प्रपत्र–

स्वीकृति पत्र

श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह, प्रबन्धक रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय हल्दौर जिला बिजनौर द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी महोदय नगर पालिका परिषद् हल्दौर (बिजनौर)।

द्वारा दिनांक 16.9.2014 को निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी गयी है।

1. आवेदक अपने स्वामित्व प्राप्त वैधानिक भूमि में ही अपना निर्माण कार्य करायें।
2. पडोसियों की भूमि की बेपर्दकी/अतिक्रमण न करें।
3. पूरब दिशा में प्लॉट श्री अल्लादिया पुत्र श्री बेग के भूमि का किस प्रकार अतिक्रमण व उपयोग न करें।
4. पश्चिम दिशा में स्थित हल्दौर से अम्हेड़ा सड़क के मध्य से 72 फुट छोड़कर निर्माण कार्य कराये किसी भी दशा में सड़क के भू–भाग का अतिक्रमण न करें, न ही क्षतिग्रस्त करें।
5. उत्तरदिशा में श्री कपिल कुमार पुत्र श्री दिलेराम के किसी भी प्रकार अतिक्रमण न करें, और नही उस पर किसी प्रकार का प्रक्षेप या सीढ़ी आदि निकालें।
6. दक्षिण दिशा में स्थित श्री अल्लादिया के भूमि का किसी भी भाग पर अतिक्रमण न करें।
7. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अपना भवन निर्माण कार्य कराना अनिवार्य है।
8. स्वीकृति का प्रभाव प्रस्तावित निर्माण के आगमन पर नही पड़ेगा।
9. स्वामित्व से संबंधित किसी भी विवाद उत्पन्न होने की दशा में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा सक्षम न्यायालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।
10. स्वीकृति पत्र प्राप्ति की तिथि से 6 माह के अन्दर अपना निर्माण कार्य पूर्ण करा लेना अनिवार्य होगा।
11. निर्धारित अवधि के पश्चात् निर्माण कार्य जारी रखने/पुनः प्रारम्भ करने से पूर्व स्वीकृत मानचित्र का नवीनीकरण/समयावृद्वि कराना अनिवार्य होगा।
12. गैर नवीनीकरण/स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाये जाने की दशा में पालिका नियमों के अन्तर्गत होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं ही होगी।
13. अपने मकान के छत के पानी का उपयोग भूगर्भ जल रिचार्ज करने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। रैन हारवेस्टिंग सिस्टम बनाने अनिवार्य होगा।
14. अपने खुली भूमि मे कम से कम 05 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
15. किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा और अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख–रेख में ही निर्माण कार्य कराया जाए तथा उससे प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।
16. निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद की देख–रेख तथा उसके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहें।
17. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नही किया जायेगा, न करने दिया जायेगा।
18. अग्नि शमन के यन्त्रों की पर्याप्त व्यवस्था तथा स्टेटिक टैंक व फायर हाईड्रेन्ड का निर्माण कार्य कराना अनिवार्य होगा। जिसकी गुणवत्ता व निरन्तरता का प्रमाण पत्र अग्नि शमन अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र की प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत करें।
19. भूकम्प रोधी भवन का निर्माण कराने के लिए भूकम्प रोधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसी के अनुरूप भवन निर्माण कराया जाए। संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
20. पश्चिम दिशा में वर्ष जल व भवन के गन्दे पानी का निकास हेतु सड़क के सामने भवन के किनारे नाला निर्माण का कार्य कराना अनिवार्य होगा।
21. ग्राम समाज की सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें।
22. उपर्युक्त शर्तो का उल्लघंन करने की स्थिति में भवन मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

16/9/14

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
हल्दौर (बिजनौर)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद् हल्दौर (बिजनौर)

पत्रांकः— **मेमो** /न0पा0प0ह0/2012—13/12 दिनांकः 16—05—12

संलग्न मानचित्र के संबंध में अवगत कराना है कि गाटा सं0 1147 मि0, गाटा सं0 1148 मि0, गाटा सं0 1149 तथा गाटा सं0 1150 मि0 मौजा कस्बा हल्दौर, परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर नगरपालिका अधिवास से 700 मीटर पर स्थित है। जो नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 212 (क) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत आता है। यह भूमि निर्विवाद रूप से रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय हल्दौर (बिजनौर) के आधिपत्य में है। जिस पर रजनीश प्रताप सिंह महाविद्यालय हल्दौर (बिजनौर) के भवन का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि पूर्णतः महाविद्यालय की शिक्षण गतिविधियों हेतु आरक्षित है। महाविद्यालय भवन का नक्शा नियमानुसार अनुमोदित है।

16/5/12

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
हल्दौर (बिजनौर)